दक्षिण एशिया अल्पसंख्यकों की स्थिति रिपोर्ट 2020

अल्पसंख्यक और सिकुड़ता नागरिक दायरा

साऊथ एशिया कलेक्टिव

The
South Asia
Collective

दक्षिण एशिया अल्पसंख्यकों की स्थिति रिपोर्ट 2020 : अल्पसंख्यक और सिकुड़ता नागरिक दायरा

विषय - सूची

प्रस्तावना	3
सारांश	6
भारत में नागरिक दायरे का सिमटना	17
संदर्भ	36

प्रस्तावना

सुश्री मेरी लॉलर,
मानवाधिकार का बचाव करनेवालों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत

इस सामयिक रिपोर्ट में उन परिचित और चिंताजनक मुद्दों को रेखांकित किया गया है कि कैसे अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का बचाव करनेवालों पर अमूमन पाबंदियां लगायी जाती हैं और उन्हें हिंसा का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान में विशेषकर अल्पसंख्यकों के धर्म और पंथ को लेकर ईश निंदा का आरोप झेल रहे लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के समर्थन में आवाज़ उठानेवाले वकीलों और सभी एनजीओ और एचआरडी पर ख़तरा मंडराता रहता है।
नेपाल में उन एनजीओ को निशाना बनाया जाता है जो ईसाई कर्मचारियों को काम पर रखना चाहते हैं। अफ़ग़ानिस्तान में एचआरडी पर सरकार और ग़ैर-सरकारी लोगों की ओर से ख़तरा बना रहता है। बांग्लादेश में वहाँ का साइबर अपराध क़ानून एचआरडी पर हमले को आसान बनाता है। भारत में भेदभावपूर्ण क़ानूनों और इन पर अमल का विरोध करनेवाले एचआरडी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिबंधों, हिंसा, आपराधिक मानहानि का सामना करना पड़ता है और उन्हें हिरासत में डाल दिया जाता है और काफ़ी परेशान किया जाता है। और श्रीलंका में एचआरडी के लिए परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब होती जा रही हैं और यहाँ तक कि श्रीलंका ने फ़रवरी 2020 में मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव 30/1 और 40/1 से अपना पैर भी खींच लिया है। ये प्रस्ताव देश में मेलजोल, उत्तरदायित्व और मानवाधिकारों से संबंधित थे।

मानव अधिकारों के उच्चायुक्त मीशेल बैचेलेट ने नागरिक दायरे के बारे में सही कहा है कि “यह किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र और समाज की जीवन रेखा है”। लेकिन पूरी दुनिया में नागरिक दायरे पर हमले हो रहे हैं और लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने और शांतिपूर्वक सभा करने जैसे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। प्रतिबंधात्मक कानूनों और प्रशासनिक प्रावधान दमन के प्रमुख तत्व रहे हैं और मानवाधिकारों का बचाव करनेवाले सबसे ज़्यादा इसके निशाने पर रहे हैं।

यह महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट हमें इस बात की याद दिलाता है कि दक्षिण एशिया जहां दुनिया की एक-चौथाई जनसंख्या रहती है, यहाँ यह वैश्विक धारणा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हाल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस क्षेत्र के 97% लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां नागरिक दायरे पर ‘पाबंदी’ लगी है और ऐसा करना इस दायरे को ‘बंद’ कर दिए जाने से सिर्फ़ थोड़ा ही बेहतर है। इस पूरे क्षेत्र में राज्य सत्ता अधिकाधिक रूप से प्रतिबंध लगाने, प्रतिबंधात्मक क़ानूनों, आपराधिक मानहानि, परेशान करने जैसी बातों का सहारा लेता है, विरोध प्रदर्शन करनेवालों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और एचआरडी को निशाना बनाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय क़ानून और राष्ट्रीय संविधानों में सुरक्षा का प्रावधान होने के बावजूद पहचान के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव बरता जाता है और इससे अल्पसंख्यकों को सबसे ज़्यादा नुक़सान पहुँचाया जाता है। इन बातों की जड़ लोकतंत्र और क़ानून के शासन को पीछे धकेलने और लोकलुभावन नीतियों में आयी तेज़ी में है।

साउथ एशिया कलेक्टिव की 'दक्षिण एशिया अल्पसंख्यकों की स्थिति रिपोर्ट 2020 : अल्पसंख्यक और सिकुड़ता नागरिक दायरा' इस बात को तफ़सील से बताता है कि कैसे इस पूरे क्षेत्र में यह हो रहा है। इस रिपोर्ट में इस बात पर फ़ोकस किया गया है कि दक्षिण एशिया में बड़ी संख्या में रह रहे धार्मिक, नस्लीय भाषाई और जातीय अल्पसंख्यकों के लिए इसके क्या परिणाम होंगे और इसकी धारणा क्या होगी। इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आयी हैं वे काफ़ी गंभीर हैं और इन पर ध्यान देना ज़रूरी होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ देश जैसे भूटान में अभी भी नागरिक दायरे की परिकल्पना नयी बात है और यहाँ यह अभी पूरी तरह अपनी जड़ नहीं जमा पाया है, पर इस क्षेत्र में संगठन बनाने, सभा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी को पिछले दशक में कमजोर करने की आम धारणा दिख रही है।
इसके तहत एनजीओ और उनको मिलनेवाले विदेशी चंदों पर ज़्यादा निगरानी की बात शामिल है। दक्षिण एशिया के कुछ देशों जैसे अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में एनजीओ को पंजीकरण या लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति नहीं देने की आम धारणा देखी जा रही है।

हाल के वर्षों में यह भी देखा गया है कि कुछ क़ानूनों का प्रयोग समाज में मेलजोल में कमी और असंतोष को रोकने की आड़ में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए हो रहा है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, और बांग्लादेश में अधिकारी बात-बात पर इंटरनेट बंद कर देते हैं विशेषकर रोहिंग्या शरणार्थियों के ख़िलाफ़ कठोर रुख़ अपनाए जाते हैं।

दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह, कोविड-19 महामारी की आड़ में आम लोगों की स्वतंत्रता को सीमित किया जा रहा है और अधिकारियों ने एचआरडी पर और ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया है और महामारी को नियंत्रित करने और आपातकालीन क़दम उठाने के नाम पर क़ानूनों का सुरक्षात्मक उपकरण की तरह प्रयोग कर रहे हैं।

दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में संगठन बनाने, सभा करने और अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता दी गई है। भूटान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी देशों ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय संधि (आईसीसीपीआर) पर भी हस्ताक्षर किए हैं जो 'मौलिक स्वतंत्रता' की गारंटी देते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध आम है और यह बढ़ता ही जा रहा है। मानव अधिकारों का बचाव करनेवालों (एचआरडी) को निशाना बनाने की घटना आम हो गई है।

हमें इस बात पर दुबारा ग़ौर करना है कि महामारी के दौरान और इसके समाप्त होने के बाद समाज कैसे बेहतर तरीक़े से काम कर सकता है। एचआरडी को इस संबंध में होनेवाले विमर्श के केंद्र में रखा जाना चाहिए। स्वस्थ नागरिक दायरा इस क्षेत्र में लोकतंत्र को मज़बूत और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। और इस बारे में मौजूद धारणाओं और गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करके और आवाज़ उठाकर और मानवाधिकार का बचाव करनेवालों की सुरक्षा के समर्थन का नारा बुलंद कर दक्षिण एशिया कलेक्टिव इस बारे में मुख्य नेतृत्वकर्ता की भूमिका अदा कर सकता है।

सारांश

I

भूमिका

1.1 दक्षिण एशिया में हर जगह सिविल सोसायटी (मीडिया, वक़ील, अभियानी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, और एनजीओ) पर शिकंजा है – या तो यह एकदम हाल का मामला है क्योंकि इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक हवा देर से बही या फिर यहां विकास या इसको संपोषित करने का इतिहास नहीं के बराबर रहा है और उसे बहुत ही मज़बूत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में सिविल सोसायटी की भूमिका में भी हाल में कई कारणों से अधिकाधिक रूप से कमी आने की धारणा दिख रही है और ऐसा लगता है कि 2014 का साल इन सभी बातों की शुरुआत का साल रहा है। लोकतंत्र-विरोधी अधिनायकवादी धारणा और क़ानून और उसकी प्रैक्टिस का प्रतिभूतिकरण इस धारणा के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार है। लोकतंत्र समर्थक, एचआरडी और अभियानी लोग प्रशासन की नज़र में गड़ रहे हैं क्योंकि वे राज्य की कार्रवाईओं पर सवाल उठाते हैं और उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। सिविल सोसायटी के दायरे में आयी कमी का सीधे-सीधे मतलब अल्पसंख्यकों से है और इसका एक कारण इस क्षेत्र में बहुसंख्यावादी धारणा का मज़बूत होना है।

1.2 यह रिपोर्ट – जो कि दक्षिण एशिया में अल्पसंख्यकों की वार्षिक रिपोर्ट की कड़ी में चौथी ऐसी रिपोर्ट है – इसमें दक्षिण एशिया में विशेषकर अल्पसंख्यकों के नागरिक दायरे पर फ़ोकस होता है। इस रिपोर्ट में इस बात की विशेष रूप से समीक्षा की जाती है कि दक्षिण एशिया के किसी विशेष देश में नागरिक दायरे को सीमित किया जा रहा है या नहीं और अगर हाँ, तो कैसे और क्यों और इस संदर्भ में फ़ोकस इस क्षेत्र के अल्पसंख्यकों पर होती है। यह रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि नागरिक दायरे को इस तरह सीमित करने की क्या क़ीमत चुकानी पड़ रही है ख़ासकर इस क्षेत्र के अल्पसंख्यक समूहों को ।
नागरिक दायरे की विस्तृत और समावेशी परिभाषा में अन्य बातों के अलावा शामिल है सामाजिक सक्रियता/आंदोलन, ग़ैर-सरकारी और अंतरराष्ट्रीय ग़ैर-सरकारी संगठन, सिविल सोसायटी संगठन, मीडिया, अकादमिक और अभियानी। एक सक्रिय नागरिक दायरा (i) एक साथ मिल बैठने, (ii) शांतिपूर्वक सभा करने, और (iii) बेरोक-टोक अपना विचार और अपनी राय देने जैसी बातों पर निर्भर करता है। इसलिए, इस रिपोर्ट के हर अध्याय में कई तरीक़ों से इन तीन बुनियादी स्वतंत्राओं की स्थिति की समीक्षा की गई है। इसके लक्ष्य हैं –

1.3 अलग-अलग अध्यायों में देश स्तर के निष्कर्षों को रखा गया है और इन्हें अधिकतर डेस्क पर हुए शोधों और उस देश विशेष में अल्पसंख्यकों के नागरिक दायरे के बारे में प्रकाशित सामग्रियों के गहरे अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है। इन अध्यायों में नागरिक दायरों को विनियमित करनेवाले क़ानूनों और नीतियों की समीक्षा और उनके आकलन को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में प्रस्तावित विधेयकों का आकलन भी पेश किया गया है ताकि नागरिक दायरों और सिविल सोसायटी के बारे में सरकार के रुख को समझा जा सके। अफ़ग़ानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और नेपाल के लिए कुछ प्राथमिक डाटा ऑनलाइन विशेषज्ञ सर्वेक्षण के आधार पर जुटाया गया ताकि इन देशों में सार्वजनिक दायरे के बारे में व्याप्त धारणा को समझा जा सके।
वैसे महामारी के कारण लगी पांबंदियों और अन्य वजह से बहुत कम लोग सर्वेक्षण में शामिल हो सके और इस वजह से विश्लेषण पर बहस की गुंजाइश है। महामारी के कारण अलग-अलग अध्यायों पर हुए शोध को अधिकांशतः ऑनलाइन उपलब्ध संसाधनों तक ही सीमित रखना पड़ा।

II

प्रमुख निष्कर्ष

2.1 भूटान में विशेषकर, नागरिक दायरे की बात नयी है। अमरीका के विदेश विभाग ने जो भूटान मानवाधिकार रिपोर्ट 2018 तैयार की है उसमें कहा गया है कि भूटान के लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रयोग में सावधानी बरतते हैं क्योंकि अगर वे देश के शक्तिशाली व्यक्ति की आलोचना करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ मानहानि का आरोप लागाया जा सकता है। यहाँ पर ईसाई मुख्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और उनके साथ अभी भी भेदभाव बरता जाता है। पर राज्य के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए ईसाइयों ने अभी तक कोई व्यापक आधार वाल आंदोलन शुरू नहीं किया है। इसकी वजह शायद देश में ईसाइयों की कम संख्या है, अलग-अलग शाखाओं के ईसाइयों का संगठन बिखड़ा है और वहाँ विरोध प्रदर्शन की आज़ादी नहीं है।

2.2 पिछले एक दशक में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, अफ़ग़ानिस्तान, श्रीलंका और भूटान में अभिव्यक्ति, सभा करने और सूचना की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों को इन देशों की सरकारों ने क़ानून बनाकर सीमित कर दिया है और ये क़ानून ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसका एक उदाहरण है एनजीओ के पंजीकरण पर सरकार की कड़ी नज़र (इस पर अगले बिंदु में विस्तार से चर्चा है)। इसकी वजह से समय के साथ नागरिक दायरा सीमित होता जा रहा है और एनजीओ, प्रगतिकामी मीडिया संस्थनाओं और मानवाधिकार का बचाव करनेवालों के ख़िलाफ़ विरोध का माहौल बनता जा रहा है।

2.3 **संगठन बनाने का अधिकार:**
देशों के पास एनजीओ या अन्य संगठन के पंजीकरण या उसके नवीनीकरण की अनुमति नहीं देने और काम नहीं करने देने का अधिकार है ताकि ये देश उन पर निगरानी रख सकें; वे सरकार की आलोचना करनेवाले मीडिया संस्थानों पर शिकंजा डालने के लिए आवश्यक क़ानून बनाते हैं। भूटान में एनजीओ जनता की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें अपना पंजीकरण रद्द कर दिए जाने का ख़तरा होता है। फ़ीस लेकर हर साल प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाता है। भारत में सिविल सोसायटी के लोग – मानवाधिकार के लिए लड़नेवाले वक़ील, अभियानी, विरोध प्रदर्शन करनेवाले, अकादमिक, पत्रकार, उदारपंथी बुद्धिजीवी – ऐसे सब के सब लोग जिन्होंने सरकार की ज़्यादती और बहुसंख्यावाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं, उन पर विशेषकर 2014 के बाद से ज़्यादा हमले हो रहे हैं। यह वह समय था जब भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में आयी। भारत में संगठनों को मिलनेवाले विदेशी चंदों को विनियमित करनेवाले क़ानून विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम 2010 का प्रयोग प्रगतिकामी और अल्पसंख्यकों से संबद्ध एनजीओ के

ख़िलाफ़ हथियार के रूप में किया जाता रहा है। बांग्लादेश मेंभी ऐसा ही एक क़ानून है फ़ॉरेन डोनेशन (वॉलुंटरी ऐक्टिविटीज़) रेग्युलेशन ऐक्ट, 2016 जिसके तहत ऐसे एनजीओ का पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है जो विदेशी चंदा लेना चाहते हैं।

पाकिस्तान में, एनजीओ और आईएनजीओ पर काफ़ी कड़ी नज़र रखी जाती है और इनके पंजीकरण और फ़ंडिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिए व्यापक और लंबी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, सुरक्षा अनुमति सहित कई बातों के लिए एक से अधिक जगह से अनुमति लेनी होती है। यह पूरी प्रक्रिया काफ़ी अपारदर्शी होती है और इसमें इस बात की व्यवस्था बहुत सीमित होती है कि आम नागरिक भी इस पर नज़र रख सके जिसकी वजह से एनजीओ पंजीकरण के आवेदन को मनमाने तरीक़े से रद्द कर दिया जाता है और जिससे उनके कामकाज पर काफ़ी पाबंदी लग जाती है। नेपाल में भी इस बारे में वर्तमान क़ानून काफ़ी बोझिल है और जो नया विधेयक प्रस्तावित है वह अगर पास हो जाता है तो यह नागरिक दायरे को काफ़ी सीमित कर देगा। अफ़ग़ानिस्तान में एनजीओ के बारे में जो क़ानून है उसमें "पुनः पंजीकरण" का एक बोझिल प्रावधान है जो सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी विशेष एनजीओ के पंजीकरण से मना कर दे जिसकी वजह से उसे वहाँ से खुद ही हटना पड़ता है। श्रीलंका में 2015 से 2019 यहापलानाया (सुशासन) के दौरान नागरिक अधिकारों को बहुत ज़्यादा सीमित किया गया और क़ानून का प्रयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए किया गया और इसी दौरान यह भी देखा गया कि जो नस्लीय-धार्मिक समूहों के ख़िलाफ़ घृणा फैला रहे थे और हिंसा को भड़का रहे थे उनके ख़िलाफ़ इस क़ानून का प्रयोग करने में शासन विफल रहा। सैन्यकरण जिसे पिछली सरकार के शासन के दौरान अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, वर्तमान सरकार ने उसे तेज कर दिया और सेना नागरिक मामलों और क़ानून को लागू करने में भी ज़्यादा दख़ल देने लगी है। इसकी वजह से सिविल सोसायटी की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है।

2.3 **सभा करने की स्वतंत्रता:**

धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा का प्रयोग रणनीतिक रूप से कट्टरपंथी और वर्चस्ववादी राष्ट्रीय धारणा को लागू करने लिए होता है। भारत में, अल्पसंख्यक-विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की मतभिन्नता को दबाने के लिए शासन ने बहुत ही प्रभावी ढंग से सैनिक शासन को लागू कर दिया है – मुसलमान-बहुल राज्य कश्मीर में नागरिक दायरे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और कश्मीर या अन्य किसी भी स्थान पर अल्पसंख्यक-विरोधी नीतियों का विरोध करनेवाले मुसलमानों और अन्य समूहों तक कठोरता से सीमित कर दिया है। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सार्वजनिक विरोध के विकल्प का रास्ता बंद है क्योंकि अधिकांश को उग्रवादियों से हमले का डर होता है। ईसाई यहाँ प्रभावी रूप से इकट्ठा नहीं हो सकते और प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि महानगरों के बाहर गिरजाघरों का पुरज़ोर विरोध हो रहा है। नेपाल में ईसाई मत से जुड़े एनजीओ की शिकायत है कि उनके ख़िलाफ़ काफ़ी जाँच पड़ताल की जाती है विशेषकर तब जब वे ईसाई मत के लोगों को नौकरी पर रखना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह का काम ऐसे लोगों से लेना होता है इसके लिए ज़रूरी होता है कि उनके पास इस मत और इसको

मानने से संबंधित जानकारी हो। श्रीलंका में 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर के मौक़े पर हुए हमले केबाद मुसलमानों के साथ भेदभाव होने लगा है, उन्हें परेशान किया जाने लगा है, उनको मनमाने तरीक़े से गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और उनके ख़िलाफ़ हिंसा भी होती है। अफ़ग़ानिस्तान में जुलाई 2018 में जलालाबाद में एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें वहाँ के सिख और हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 19 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें आगामी संसदीय चुनावों में हिंदू-सिख समुदाय के एकमात्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़नेवाले ओत्तर सिंह खालसा भी शामिल थे।

2.5 **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:**
इस क्षेत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी ज़्यादा पाबंदी लगायी जा रही है। इसका एक उदाहरण है इंटरनेशनल कवनंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स (आईसीसीपीआर) अधिनियम जिसका प्रयोग श्रीलंका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला दबाने और आलोचकों की ज़ुबान पर पाबंदी लागाने के लिए किया जाता है न कि जातीय/धार्मिक तनाव फैलानेवाले के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने या उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए। अफ़ग़ानिस्तान में, मास मीडिया लॉ (एमएमएल) 2009 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मज़बूत बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता था पर इसमें एक प्रावधान है जिसके तहत इस्लाम को मानने की बाध्यता है। हाल के वर्षों में एमएमएल को सरकार ने मीडिया के अधिकारों को कुचलने के लिए हथियार की तरह प्रयोग किया है। बांग्लादेश में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं विशेषकर वहाँ के डिजिटल सिक्योरिटी ऐक्ट 2018 को देखते हुए। इस क़ानून के तहत अगर आप किसी वेबसाइट या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लैट्फ़ॉर्म पर जानबूझकर फ़र्ज़ी, भड़काऊ, अशोभनीय या संवेदनशील सूचनाएँ डालते हैं जिससे किसी की मानहानि होती है और जिसकी वजह से देश में विनियमन को नुक़सान पहुँचता है, स्थिति बिगड़ती है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। भूटान में, राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत अगर ऐसा कोई भाषण दिया जाता है जिससे 'लोगों में घृणा और असंतोष' पैदा होता है या पैदा करने की कोशिश की जाती है या जिससे अन्य अपराधों के अलावा 'आम लोग औरसरकार के बीच ग़लतफ़हमी या शत्रुता' पैदा होती है तो इसके लिए जेल की सज़ा हो सकती है।

भारत में, जो लोग नागरिकता संशोधन क़ानून 2019 के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं या कश्मीर में हुए संवैधानिक बदलावों का विरोध कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ अधिकारियों ने देशद्रोह क़ानून और बहुत ही कठोर ग़ैरक़ानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत मुक़दमा दायर कर दिया है। टीवी न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध के भी कई उदाहरण देखे गए हैं – ऐसे चैनलों को निशाना बनाया गया जिन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ विचारों को प्रसारित किया। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 25 मार्च और 31 मई 2020 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान, कम से कम 55 भारतीय पत्रकारों को गिरफ़्तार किया गया, उन पर हमले हुए, उनकी संपत्ति को नुक़सान पहुँचाया गया, उन्हें धमकियाँ मिलीं और उनके ख़िलाफ़

प्राथमिकी दर्ज कराए गए। नेपाल में मीडिया काउंसिल बिल में सितम्बर 2019 में एक संशोधन काप्रस्ताव किया गया जिसमें 'पत्रकारों के लिए लाइसेंस' के प्रावधान को शामिल करने की बात कही गई है। इसके तहत सभी पत्रकारों को एक परीक्षा पास करनी होगी और इसे देश में प्रेस को स्वतंत्र रूप से काम करने देने के रास्ते में एक और बाधा माना जा रहा है। आपराधिक संहिता 2018 में जो संशोधन हुआ है उससे भी नेपाल में पत्रकारों के कामकाज पड़ असर पड़ेगा और अगर नयी आपराधिक संहिता के तहत किसी पत्रकार ने 'गोपनीय' समझी जानेवाली कोई सूचना प्रकाशित कर दी तो उसे तीन साल तक की क़ैद की सजा और जुर्माना देना पड़ सकता है।

2.6 **धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना:**

विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिक दायरों को सीमित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए : पाकिस्तान में ऐसे वक़ील जो मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं विशेषकर वे लोग जो ईश निंदा के मामले में किसी अल्पसंख्यक के अधिकारों की क़ानूनी लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ के ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक वकीलों को लगातार धमकियाँ मिलती रहती हैं। पाकिस्तान में ईश निंदा क़ानून का प्रयोग धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने के लिए किया गया है। इस तरह की रिपोर्ट है कि नेपाल में ईसाइयों को राज्य से मिलने वाले लाभों से वंचित किया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जाता है, विशेषकर ग्रामीण इलाक़ों में। जहां तक भारत की बात है, यह मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए ख़तरनाक और हिंसक स्थान बन गया है। दिसंबर 2019 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया जिसकी वजह से देश में ग़ैरक़ानूनी प्रवासियों के आने का रास्ता साफ़ हो गया है और इस योजना से मुसलमानों को विशेष रूप से अलग रखा गया है। इस क़ानून को बनाते हुए सरकार ने यह घोषणा भी की कि वह भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) बनाने जा रही है।

2.7 **मानवाधिकारों का बचाव करनेवालों पर निशाना :**

अफ़ग़ानिस्तान में, सभा करने को लेकर जो क़ानून पास किया गया है उसके तहत लोगों के जमा होने और विरोध प्रदर्शन करने पर काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है जो कि एचआरडी के लिए बहुत ही चिंता की बात है। अफ़ग़ानिस्तान में भी 2014 के बाद से राज्य और ग़ैर-शासकीय लोगों की ओर से मानवाधिकार का बचाव करनेवालों, सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर हमले, उनको मिलनेवाली धमकियों, उनको परेशान करने, जेल में बंद कर देने और मार दिए जाने की घटनाओं में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। बांग्लादेश में सिविल सोसायटी संगठनों और मानवाधिकार का बचाव करनेवालों के लिए हालात बहुत ही प्रतिकूल हैं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2017 के बीच पुलिस में साइबर अपराधों के कुल 1,417 मामले दर्ज कराए गए, अकेले ढाका में ही 1,492 लोगों को इन वर्षों के दौरान गिरफ़्तार किया गया और 490 मामलों की अभी भी जाँच हो रही है। इन मामलों को मानवाधिकार का बचाव करनेवालों पर अत्याचार के रूप में देखा जा रहा है। भारत में भी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ सरकारी एजेंसियाँ और इनसे नज़दीकी रखनेवाले ख़ास विचारधारा से ताल्लुक़ रखनेवाले समूहों की ओर से धमकियां दी जाती हैं

और उनके ख़िलाफ़ अभियान चलाया जाता है। जिन लोगों को ये धमकियाँ दी जा रही हैं उनमें शामिल हैं वे लोग जो सबसे ग़रीब और देश में सर्वाधिक हाशिए पर मौजूद दलित और आदिवासियों के लिए काम करते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भेदभाव को चुनौती देते हैं। पाकिस्तान में जो पत्रकार, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता अपनी आवाज़ उठाते हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करते हैं या सिर्फ़ यह कहते हैं कि बोलने की आज़ादी पर पाबंदी है उनके ख़िलाफ़ विरोध बढ़ रहा है, उनको परेशान किया जाता है, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं और उनकी गतिविधियों को आपराधिक करार दे दिया जाता है। फ़्रंटलाइन डिफ़ेंडर्स के अनुसार, पाकिस्तान में मानवाधिकारों का समर्थन करनेवाले 371 लोगों पर ख़तरा मंडरा रहा है। श्रीलंका में भी, मानवाधिकारों का बचाव करनेवालों के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं और इसकी हद तो तब हो गई जब सरकार ने 27 फ़रवरी 2020 को घोषणा की कि श्रीलंका मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव 30/1 और 40/1 से खुद को अलग कर रहा है।

2.8 **अंतरराष्ट्रीय संधियाँ:**

कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने दक्षिण एशिया के कई देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति की समीक्षा की है और अपने सुझाव दिए हैं पर अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। 8 अप्रैल 2018 को बांग्लादेश में विधि आयोग के सुझावों के तीन साल बाद एनएचआरसी ने भेदभाव निवारण अधिनियम (इलिमिनेशन ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन ऐक्ट) का एक प्रारूप भेजा था। आयोग ने 2014 में सरकार से ऐसा क़ानून बनाने को कहा था जिससे समाज में वंचितों के ख़िलाफ़ भेदभाव को ख़त्म किया जा सके। पर पिछले तीन सालों से अभी तक इसकी समीक्षा ही हो रही है और इस वजह से इससे संबद्ध पक्षों में हताशा पैदा हो गई है। इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र की कई संस्थाओं ने भारतीय अधिकारियों को अति आवश्यक संदेश भेजकर अधिकारों पर पाबंदी, मानवाधिकारों का बचाव करनेवालों – कश्मीर में हो रहे इन अधिकारों के उल्लंघन, नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ प्रदर्शन और दलितों और आदिवासियों को निशाना बनाने के संदर्भ में – के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई करने को कहा पर अधिकारियों की ओर से इस बारे में कोई उपयुक्त कार्रवाई किया जाना अभी भी शेष है।

2.9 **कोविड-19 महामारी :**

कोविड-19 महामारी के कारण नागरिकों की स्वतंत्रता पर हमले और बढ़ गए हैं और इनको बहुत ही सलीके से सीमित कर दिया गया है। कई देशों में सरकारों ने एनजीओ की भूमिकाओं को नज़रंदाज़ किया है और इसके लिए उन पर अनावश्यक नियंत्रण बढ़ाया है और महामारी से निपटने में उनकी भूमिका पर सवाल उठाया है। महामारी ने सरकारों को अपने राजनीतिक विरोधियों में चुनिंदा आधार पर ख़ामियों की तलाश कर उनके ख़िलाफ़ बदले की कार्रवाई का मौक़ा भी दिया है। फिर, अधिकांश देशों में महामारी ने दिहाड़ी मज़दूरों और कम आय वाले लोगों की आजीविका छीन ली है और इनमें से अधिकांश लोग अपने-अपने देशों में अल्पसंख्यक हैं। महामारी से निपटने के अपने-अपने सरकारों की आम लोगों की आलोचना को बहुत ही बेरहमी से दबा दिया गया है।

2.10 **निष्कर्ष:**

इस तरह, यह साफ़ स्पष्ट हो जाता है कि अल्पसंख्यकों, विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिक दायरा सीमित होता जा रहा है। अलग-अलग देशों की सरकारों ने अपने नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने पर पाबंदी लगाने के लिए प्रतिबंधात्मक क़ानूनों और विनियमनों सहित कई तरह के क़दम उठाए हैं। मानवाधिकारों की रक्षा करनेवालों धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी ने नागरिक दायरे को और ज़्यादा सीमित कर दिया है क्योंकि सरकारें संगठनों और व्यक्तियों पर ज़रूरत से ज़्यादा अनावश्यक नियंत्रण कर रही है। इस बात की आशंका बढ़ गई है कि महामारी को नियंत्रित करने के लिए जो नियम क़ानून बनाए गए हैं वे महामारी समाप्त हो जाने के बाद आगे कहीं अनिश्चितकाल के लिए जारी न रह जाए और अगर ऐसा होता है तो नागरिक दायरा और ज़्यादा सीमित हो जाएगा।

III

प्रमुख सुझाव

राष्ट्रीय सरकारों के लिए

i. देश ने जिन अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रति प्रतिबद्धता जतायी है उसे माना जाए।
ii. देश के विभिन्न तरह के क़ानूनों में जो क़ानूनी विरोधाभासहैं उन्हें दूर किया जाए और इन्हें अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप किया जाए जिस पर देश ने हस्ताक्षर किए हैं ।
iii. वर्तमान क़ानूनों में विशेषकर ऐसे प्रावधानों को हटा दें जिसकी वजह से सिविल सोसायटी के संगठनों को देश में पंजीकरण कराने, उसका नवीनीकरण करने और अपने मनोनुकूल काम करने में मुश्किल होती है।
iv. अगर संविधान में ऐसा प्रावधान पहले से नहीं है तो अल्पसंख्यकों को मान्यता दी जाए और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हर तरह के भेदभाव को आपराधिक करार देने का संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।
v. परिस्थिति को अनुकूल बनाएँ और मानवाधिकार का बचाव करनेवालों (एचआरडी) और नागरिक दायरे में काम करनेवाले लोगों को प्रभावी सुरक्षा दें और इसके लिए सीएसओ और मानवाधिकार संगठनों सहित सभी साझीदारों से परामर्श करे।
vi. धार्मिक अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के नागरिक दायरे को दी जानेवाली धमकियों के कारणों और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज की मौलिक बातों को नष्ट करने पर आमादा कट्टरपंथी आवाज़ को बंद करने के लिए प्रभावी और समग्र कार्रवाई करे।
vii. बढ़ते आतंकवाद और तेज़ी से फैल रही हिंसा से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए, मामले की निष्पक्ष जाँच करायी जाए और उन लोगों को सज़ा दिलायी जाए जो धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले के लिए ज़िम्मेदार हैं ताकि इन अपराधों से संबंधित निर्भयता की संस्कृति को समाप्त किया जा सके।
viii. एचआरडी की परिस्थितियों को लेकर यूएन के विशेष दूत देश को जो सुझाव भेजते हैं उसे और अन्य रिपोर्टों से संबंधित सभी सुझावों को लागू करे।
ix. सुनिश्चित करें कि कोविड -19 महामारी किसी भी तरह से दीर्घ काल के लिए नागरिक दायरे पर पाबंदी के रूप में तब्दील न हो जाए।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए

i.दक्षिण एशिया में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं पर यूएन और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ ज़्यादा ध्यान दे यह सुनिश्चित किया जाए।
ii. दक्षिण एशिया में क्षेत्रीयप्रयासों और प्रक्रियाओं के विकास को संभव बनाया जाए ताकि इस क्षेत्र में नागरिक दायरे पर विभिन्न तरह की पाबंदियों से निपटा जा सके।

सिविल सोसायटी/अल्पसंख्यक समूहों के लिए

i. क्षेत्रीय सिविल सोसायटी प्रयासों को सुनिश्चित किया जाए ताकि राष्ट्रीय निकायों के प्रतिबंधों को पीछे धकेला जा सके।
ii. सीमा पार के देशों के साथ एकता को और ज़्यादा मज़बूत करनेऔर अलग-अलग देशों में निशाना बनाए गए उत्पीड़ित व्यक्तियों के लिए ज़्यादा समर्थनव्यक्त करने के लिए उपायों को सक्षम किया जाए।
iii. सीमा पार के देशों में विभिन्न समूहों के साथ सूचनाओं और समझ को ज़्यादा से ज़्यादा साझा किया जाए।

भारत में नागरिक दायरे का सिमटना

लोकतंत्र के पाँव समेटने के बीच अल्पसंख्यकों पर हमले [1]

सिटीजेंस अगैंस्ट हेट, भारत

1: सिटीजेंस अगैंस्ट हेट दिल्ली स्थिति संस्था है जो धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और लोगों का ख़याल रखनेवाले भारत के निर्माण में विश्वास रखता है। इसके सदस्यों में अकादमिक, क़ानून, व्यवसाय, मीडिया और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं। देखें: http://citizensagainsthate.org/.

भूमिका

नागरिक दायरा जनता की जगह है जहां वे बेरोक-टोक इकट्ठा होते हैं और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। भारत में 30 लाख से अधिक सिविल सोसायटी संगठन (सीएसओ) हैं और यह देश ऐसतिहासिक रूप से कई तरह के सामाजिक आंदोलनों का गवाह रहा है जिसने यहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की है और सरकारों को उनकी ग़लतियों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है। लोकतंत्र में स्थायित्व ने इसे मज़बूत किया है। इन्हीं बातों ने भारत को 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र' का ख़िताब दिलाया है।

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद देश में नागरिक दायरे पर काफ़ी चोट किया गया है और इसको काफ़ी सीमित कर दिया गया है। सरकार के ख़िलाफ़ बोलनेवाले मानवाधिकार अभियानियों, वकीलों, विरोधियों, अकादमिकों, पत्रकारों उदारवादी बुद्धिजीवियों एवं दूसरे लोगों पर हमले हुए हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में भारत अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर काफ़ी पिछड़ गया है।

तालिका 1 प्रमुख वैश्विक 'नागरिक दायरा' सूचकांक में भारत का प्रदर्शन, *2014-2020*

सूचकांक	**कारक/मानदंड/सिद्धांत**	**वैश्विक स्थिति** (पूर्व में)	**वैश्विक स्थिति** (नवीनतम)
सिविकयूएस मॉनिटर का राष्ट्रीय नागरिक दायरा रेटिंग	संगठित होने, शांतिपूर्वक सभा करने,अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	'बाधित' (2014)	'दमित' (2019)
द इकॉनमिस्ट इंटेलिजेन्स यूनिट का लोकतंत्र सूचकांक	चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद; सरकार का कामकाज; राजनीतिक भागीदारी; राजनीतिक संस्कृति; नागरिक स्वतंत्रता	27/167 (2014)	51/167 (2020)
फ्रीडम हाउस का दुनिया में स्वतंत्रता रिपोर्ट	राजनीतिक अधिकार; चुनावी प्रक्रिया; राजनीतिक बहुलवाद एवं भागीदारी; सरकार का कामकाज; नागरिक स्वतंत्रता: अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता, संघ संबंधित और सांगठनिक अधिकार; क़ानून का शासन; निजी स्वायत्तता एवं व्यक्तिगत अधिकार	भारत का स्थान: 77/100 - Free (2017), भारतीय -कश्मीर स्थान: 50/100 - आंशिक रूप से स्वतंत्र (2017)	भारत का स्थान: 71/100 – स्वतंत्र (2020), भारतीय-कश्मीर स्थान: 28/100 – स्वतंत्र नहीं (2020)
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का क़ानून का शासन सूचकांक	सरकार की शक्तियों पर पाबंदी; भ्रष्टाचार का नहीं होना; खुली सरकार; मौलिक अधिकार; व्यवस्था और सुरक्षा; विनियामक प्रवर्तन; नागरिक न्याय; आपराधिक न्याय	**59** (2015)	**69** (2020)
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्ज़ का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक	बहुलवाद; मीडिया की स्वतंत्रता; पर्यावरण और स्व-प्रतिबंध; विधायी फ्रेमवर्क; पारदर्शिता; बुनियादी सुविधा; दुरुपयोग	**140**/180 (2015)	**142**/180 (2020)

बीजेपी के 2019 में दुबारा सत्ता में आने के बाद स्थिति और गंभीर हुई है। न्याय से जुड़े संस्थान कार्यपालिका की ओर से होनेवाले अतिक्रमण पर लगाम लागाने के बजाय उसकी मदद कर रहे हैं। अभी हाल का वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ ट्वीट किया तो उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का मुक़दमा क़ायम कर दिया गया।

नागरिक दायरा, लक्ष्य और शोध

संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) देश के सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। इसके तहत नागरिकों को शांतिपूर्वक जमा होने और बिना हथियार के सभा करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19(1)(c) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को संघ बनाने का अधिकार है। नागरिक दायरे के अधिकार की गारंटी इंटरनेशनल कवनंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स (आईसीसीपीआर), 1976 के अनुच्छेद 19, 21 और 22 के तहत भी दिया गया है और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है। पर नागरिकों के इन अधिकारों पर हमले कर भारत इन संधियों को तोड़ रहा है और लोकतंत्र के वादे से मुकर रहा है। यही कारण है कि आज भारत को ‘दुनिया का सबसे असहिष्णु लोकतंत्र’ कहा जाता है।

लक्ष्य

- भारत में नागरिक दायरे को संकुचित किए जाने की प्रक्रिया का मानचित्रण; इसके कारण; लोकतंत्र के वादे से तेज़ी से मुकरने के कारण; मतभेद को दबाने के लिए क्या किए जा रहे हैं; और यह भी पता करना कि लोकतांत्रिक संरचना में जिस संवैधानिक और क़ानूनी सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है उसे किस तरह से तोड़ा गया है जिसकी वजह से लोकतंत्र पीछे की ओर खिसक रहा है।
- यह भी पता करना कि नागरिक दायरे को बंद करने की क़ीमत देश के लिए और विशेषकर अल्पसंख्यक समूहों के लिए क्या है। प्रक्रिया और शोध इसके तहत संगठन बनाने, शांतिपूर्वक सभा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहुसंख्यावाद और अधिनायकवादी प्रवृत्ति के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में जाँच की गई है क्योंकि अल्पसंख्यकों का इससे सीधा संबंध है। विशेषकर मुसलमानों के लिए नागरिक दायरे को सीमित करने की बात की इन्हीं संदर्भों में जाँच की गई है। इस रिपोर्ट का समापन मुसलमान बहुल कश्मीर में नागरिक दायरे को सीमित करने की बात की जाँच से की गई है।

एनजीओ पर क़ानूनी और प्रशासनिक शिकंजे के लिए सरकार ने क्या किया है इसकी भी इस रिपोर्ट में पड़ताल की गई है। प्रेस पर लगाए प्रतिबंधों और पत्रकारों को डराने-धमकाने से लेकर सूचना के अधिकार और पारदर्शिता पर लगे प्रतिबंधों की जाँच की गई है। रिपोर्ट में इस बात की तहक़ीक़ात भी की गई है कि सत्ता में बैठे लोगों ने लोकतांत्रिक मतभेद और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए किस तरह राज्य और समाज को लामबंद किया है। और अगस्त 2020 में पत्रकारों,

अकादमिकों, शोधकर्ताओं, अवकाशप्राप्त नौकरशाहों, अधिकारों की लड़ाई लड़नेवाले वकीलों, अभियानियों और राजनीतिक टिप्पणीकारों के बीच एक सर्वेक्षण किया गया था कि उक्त तीनों अधिकारों के बारे में भारत में किस तरह की धारणा रही है और इस बारे में उनकी राय ली गई।

इस रिपोर्ट में विषय के विशेषज्ञों, एनजीओ, सिविल सोसायटी के लोगों और सबसे निचले स्तर पर काम करनेवाले एचआरडी से बात की गई है। अल्पसंख्यक समूहों और उनका बचाव करनेवालों पर प्रभाव का आकलन इससे संबंधित रिपोर्टों और दस्तावेज़ों के अध्ययन से किया गया है। रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ हुए विरोध प्रदर्शन की भी चर्चा की गई है जो कि मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा चलाया गया था और जो राज सत्ता के सामने निडर होकर खड़े होने को लेकर उनके नए आत्मविश्वास और उनमें नयी ऊर्जा के संचार का संकेत देता है। रिपोर्ट में मुस्लिम-बहुल राज्य कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन और नागरिक दायरों को संकुचित किए जाने की चर्चा भी है।

भारत में नागरिक दायरे का बढ़ता संकुचन बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही वर्ष 2014 से भारत में नागरिक दायरे पर हमला बढ़ गया है। यह पार्टी हिंदू बहुसंख्यावाद को अपनी स्थापना के समय से ही बढ़ावा देती आ रही है और यह देश के संविधान और उसकी राजनीति के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र हमले करती रही है। वह नव-उदारवादी नीति पर काम करती है और ऐसी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाती है जो व्यवसायियों को लाभ पहुँचाता है। 2014 और उसके बाद 2019 में दुबारा चुने जानेवाले नरेंद्र मोदी की 2002 में गुजरात दंगों में मुसलमानों के क़त्लेआम में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है और वे समाज में फूट डालनेवाले व्यक्ति रहे हैं।

मोदी की ख्याति लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करनेवाले के रूप में रही है। गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के समय से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने अधिनायकवादी व्यवस्था को मज़बूत किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहरेदारी करनेवाली संस्थाओं की कमर तोड़ दी है। सिविकस की 2017 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि लोकतांत्रिक असहमति के नागरिकों के अधिकार को प्रतिकूलतः प्रभावित किया है और इसकी वजह से लोकतंत्र की गुणवत्ता में ह्रास हुआ है।सरकार का विरोध करनेवाले सीएसओ के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाती है और उन्हें तरह-तरह से परेशान किया जाता है। सरकार की नीतियों की आलोचना करनेवाले एनजीओ को विदेशी चंदा प्राप्त करने से रोका जा रहा है और उनके खाते को निलंबित कर दिया जाता है जिसकी वजह से वे अपने खाते से पैसे भी नहीं निकाल सकते। सरकार की नीतियों पर सवाल उठानेवालों पर नज़र रखी जा रही है, उन्हें शारीरिक नुक़सान पहुँचाने की धमकियाँ दी जा रही है। सरकार का विरोध करनेवालों के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार करने के लिए मीडिया के एक ऐसे वर्ग का प्रयोग किया जाता है जो सरकार का साथ देता है। सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ लिखनेवाले पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला दबाने के लिए हर तरह का हथकंडा सरकार अपनाती है। एनजीओ पर यह हमला 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद ही बीजेपी ने शुरू कर दिया था। आईबी को इनके बारे में रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था और इसी को आधार बनाकर उनके

ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। पीएमओ को सौंपी 'विकास पर एनजीओ का असर' नामक रिपोर्ट में कहा गया कि विदेशी चंदा लेनेवाले एनजीओ की वजह से जीडीपी के विकास पर 2-3 प्रतिशत तक का नकारात्मक असर पड़ा है। इस रिपोर्ट में विशेषकर ग्रीनपीस का उल्लेख किया गया और उसकी गतिविधि को राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा के लिए ख़तरनाक बताया गया। 2016 में मोदी ने दावा किया कि एनजीओ उनके ख़िलाफ़ साज़िश कर रहे हैं।

एनजीओ को वर्तमान सरकार ने बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है और रिपोर्ट के अनुसार उसने संदिग्ध विदेशी निवेशों से निपटने के लिए 'विघटनकारी'एनजीओ के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ दी है। एनजीओ द्वारा उठाए जानेवाले मुद्दों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और इसे वे 'चौथी पीढ़ी की लड़ाई' बताते हैं और यह भीकहते हैं कि पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसियाँ भारत में सिविल सोसायटी को निशाना बना रही हैं। सरकार ने विदेशी चंदा लेने के बारे में क़ानून को बदल दिया है और इसने भारत के एनजीओ सेक्टर के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है।

संगठन बनाने के अधिकार को सीमित करना

एनजीओ का पंजीकरण

यह पाया गया है कि सीएसओ को निशाना बनाने के लिए सरकार ने कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं। इनके पंजीकरण को किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पंजीकरण से भी ज़्यादा कठिन बना दिया गया है। ऐसे कई मामले हुए हैं जब सीएसओ के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया या निलंबित कर दिया गया और उनके नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी गई।

सीएसओ अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, महिला और बहिष्करण झेल रहे समूहों और मानवाधिकार हनन के शिकार लोगों को क़ानूनी मदद देते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको मानने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर करने के बावजूद बीजेपी की सरकार की इन सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय मूल्यों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है और इस क्षेत्र में काम करनेवाले लोग हमेशा ही बीजेपी के निशाने पर होते हैं। एनजीओ के कामकाज को प्रभावित करनेवाले अहम बदलाव जो सरकार ने किए हैं उसके अनुसार अब आयकर अधिनियम के तहत एनजीओ के पंजीकरण सिर्फ पाँच साल तक वैध रहेंगे। इसका मतलब यह कि हर एनजीओ को पाँच साल के बाद कर छूट के लिए ज़रूरी चेरिटबल स्टेटस के लिए आवेदन करना होगा। विदेशी चंदा पंजीकरण अधिनियम (एफसीआरए) एफसीआरए के नियम सीएसओ के कामकाज में बाधा बनते रहे हैं। इस अधिनियम को मूल रूप से घरेलू राजनीति में विदेशी पैसे के प्रभाव को कम करने के लिए 1976 में पास किया गया था पर बाद में 2010 में इसे और सख़्त बना दिया गया। इस संशोधन से विदेशी चंदा स्वीकार करने की इच्छा रखनेवाले सभी एनजीओ के लिए एफसीआरए पंजीकरण आवश्यक बना दिया गया। और अब एफसीआरए के लिए यह ज़रूरी है कि एनजीओ हर पाँच साल पर अपने पंजीकरण का नवीनीकरण

कराएँ। नए संशोधन से सरकार इस बात पर भी नज़र रखेगी कि संस्थाएँ अपना पैसा किस तरह से खर्च कर सकती हैं। एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण ने सीएसओ को भारी मुश्किल में डाल दिया है क्योंकि नवीनीकरण पूर्णतया सरकार की मर्ज़ी पर है।

बीजेपी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से चुनिंदा आधार पर संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। कई एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। सीआईवीआईसीयूएस के अनुसार 5 मई से 9 जून 2015 के बीच एफसीआरए का उल्लंघन करने और कर रिटर्न नहीं भरने के आरोप में 4,470 और अप्रैल 2016 में 9,000 सीएसओ के पंजीकरण रद्द कर दिए गए। सरकार ने 2019 में लोकसभा में बताया कि 2014 से 14,500 एनजीओ को विदेशी चंदा लेने से रोक दिया गया और इस तरह प्राप्त विदेशी चंदा जो 2018 में $2.2 अरब था, गिरकर 2019 में $295 मिलियन पर आ गया। अब हर पाँच साल पर एनजीओ को यह भी बताना पड़ता है कि उन्हें धर्म परिवर्तन कराने में शामिल होने के लिए दंडित तो नहीं किया गया है और यह आश्वासन देना होगा कि वे देशद्रोह को बढ़ावा देनेवाली गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।

ऐसे एनजीओ को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है जो मानवाधिकार की रक्षा के मुद्दे पर कमजोर और अल्पसंख्यक समूहों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम करते हैं। इस तरह के सीएसओ को परेशान करने के लिए सरकार ने एफसीआरए को हथियार की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जिन प्रमुख संस्थाओं को निशाना बनाया गया है उनमें शामिल हैं नवसर्जन ट्रस्ट, अनहद, ग्रीनपीस इंडिया, लॉयर्स कलेक्टिव, सेंटर फ़ॉर प्रोमोशन ऑफ़ सोशल कन्सर्न (सीपीएससी), इंडियन सोशल ऐक्शन फ़ोरम (इंसाफ़), अमनेस्टी इंटरनेशनल।

डराने धमकाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों का प्रयोग

एनजीओ को डराने-धमकाने के लिए सरकार ईडी, सीबीआई जैसी जाँच एजेंसियों का बेजा उपयोग भी करती है। कई नामी-गिरामी संस्थाओं को इन एजेंसियों के माध्यम से निशाना बनाया गया है और उनके ख़िलाफ़ फ़र्ज़ी आपराधिक मामले के तहत कार्रवाई की गई है।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर मंडराते डर के बादल

संगठनों को ज़रूरी मुद्दों पर कार्य करने से रोकने के अलावा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बताया है कि सरकारी एजेंसियाँ उन्हें डराती -धमकाती भी हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी के अधिकारों के लिए काम करनेवाली सोनी सोरी, बेला भाटिया और गुजरात दंगे में ज़िंदा बचे लोगों की मदद करनेवाली तीस्ता सेतलवाड। इन कार्यकर्ताओं पर सरकार की एजेंसियाँ ख़ुफ़िया नज़र रखती हैं और इसी तरह से ऐसे ही सामाजिक-राजनीतिक सरोकारों वाले पत्रकारों, वकीलों, शिक्षाविदों और अभियानियों के ख़िलाफ़ भी सरकारी एजेंसियाँ सक्रिय रहती हैं और ये आईटी अधिनियम और

टेलीग्राफ अधिनियम के तहत इनके ख़िलाफ़ जासूसी करती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल एक लाख लोगों के फ़ोन पर नज़र रखने के आदेश जारी किए जाते हैं।

अभिव्यक्ति और मत प्रकट करने की आज़ादी पर प्रतिबंध

पत्रकारों और अभियानियों पर हमले

प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत लोकतांत्रिक देशों में काफ़ी नीचे है। मोदी ने देश की मीडिया पर अपना प्रभाव बढ़ा दिया है और उन्हें अपनी सरकार की हिन्दुवादी नीतियों पर चलने के लिए बाध्य कर दिया है। उन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं जिन्होंने इस सरकार के ख़िलाफ़ कुछ लिखा है और 2014 से गौरी लंकेश सहित कम से कम 18 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। जाँच से पता चला है कि गौरी लंकेश की हत्या के तार हिंदू अतिवादियों से जुड़ रहे हैं। 25 मार्च और 31 मई 2020 के बीच कम से कम 55 पत्रकारों पर गिरफ़्तारी का ख़तरा मंडरा रहा था, उनको शारीरिक रूप से या उनकी संपत्तियों को नुक़सान पहुँचाया गया या उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज किए गए। जिन पत्रकारों को सरकार के ग़ुस्से का निशाना बनाया गया उनमें शामिल हैं द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और प्रशांत कनोजिया। राणा अय्यूब को गुजरात दंगे में अमित शाह की भूमिका के बारे में लिखने के लिए परेशान किया गया है और यह आज भी जारी है।

सूचनाओं तक पहुँच को सीमित करना

भारत में इंटरनेट को बंद करने के वाक़ये ज़्यादा हो रहे हैं और इसमें नाटकीय वृद्धि हुई है। भारत सरकार सोशल मीडिया प्लैट्फ़ॉर्म से कंटेंट को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा बार आग्रह कर चुकी है और सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कम से कम 50 लोगों को 2017 और 2018 में गिरफ़्तार किया गया जिसमें अधिकांश मुसलमान हैं। बीजेपी सरकार ने देश की सूचना का अधिकार विधेयक में छेड़छाड़ की है और जो क़ानून एक समय में सबसे सशक्त क़ानून माना जाता था उसे संशोधन के द्वारा कमजोर कर दिया गया। मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन और नियुक्ति की अवधि को केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया और इस तरह अब उन पर आसानी से राजनीतिक दबाव डाला जा सकता है। देश के सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं पर हमले जारी हैं और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (सीएचआरआई) ट्रैकर की मानें तो इस अधिनियम के 2005 में बनने के बाद अभी तक 86 लोगों की हत्या हो चुकी है और इनमें से 44 लोगों की हत्या 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई है।

घृणा फैलानेवालों को खुली छूट

टीवी चैनलों पर पाबंदी की बात भी सामने आयी है। केरल के एक चैनल को दिल्ली में हुए दंगे में दिल्ली पुलिस और आरएसएस के बारे में विरोधी राय रखने के कारण उस पर फ़रवरी 2020 में अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे पहले 2016 में एनडीटीवी पर एक दिन का प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया था। ज़ाहिर है सरकार उन चैनलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती जो खुलेआम घृणा फैलाते हैं और देश में संप्रदायों के बीच दुश्मनी का माहौल पैदा करते हैं। सरकार के समर्थक मीडिया समूहों को सरकारी विज्ञापन के माध्यम से पुरस्कृत किया जाता है जबकि सरकार के ख़िलाफ़ खबर चलानेवाले चैनलों और अख़बारों एवं अन्य माध्यमों को सरकारी विज्ञापन से वंचित कर दिया जाता है ।

अकादमिक आज़ादी पर हमला

ऐसे विश्वविद्यालयों पर हमले बढ़ रहे हैं जो सवाल उठाते हैं और स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करते हैं। सरकार ने उच्च शिक्षा की अपनी बजट जो कि 2013-14 में जीडीपी का 0.6 प्रतिशत था, उसे 2018-19 में घटाकर 0.2 प्रतिशत कर दिया। फिर, आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालयों में गुंडागर्दी बढ़ गई है और ये लोग उन छात्रों और शिक्षकों पर हमले करते हैं जो उनके विचारों से अलग विचार रखते हैं ।

जमा होने और विरोध करने की आज़ादी पर अंकुश

बीजेपी के 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से बोलने, सभा करने और अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमले बढ़ गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत जनता को यह आज़ादी दी गई है। केंद्र सरकार ने आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों के विरोध प्रदर्शनों को सत्ता में आने के बाद कुचला है। उत्पीड़नकारी श्रम क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन, गुजरात के ऊना में दलितों की हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन और भीमा कोरेगाँव में दलितों की सभा पर बीजेपी से जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हमले किए। मामले की जानकारी रखनेवालों का कहना है कि इस बारे में मौजूदा क़ानून का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है और सरकार असहमति रखनेवालों को निशाना बना रही है। दूसरी बार 2019 में सत्ता में लौटने के बाद से बीजेपी अपने विरोधियों के ख़िलाफ़ पहले से कहीं ज़्यादा दमन का रवैया अपना रही है। सीएए के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के दौरान धारा 144 का व्यापक दुरुपयोग हुआ ताकि लोगों को जमा होने और विरोध प्रदर्शन से रोका जा सके। कश्मीर में भी सरकार इस धारा का दुरुपयोग कर रही है। धारा 144 का मनमाना प्रयोग और इंटरनेट को बंद कर देना आम हो गया है और इसे अब सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया गया है। भारत में किसी अन्य लोकतांत्रिक देश से कहीं ज़्यादा इंटरनेट को बंद किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों के लिए सिकुड़ते दायरे

हाल में जो भी हुआ है उसको देखकर यही लगता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के लिए नागरिक दायरे को प्रभावी रूप से बंद करने का प्रयास हो रहा है।

राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में मुसलमानों की भागीदारी कईकारणों से सीमित रहा है और जिसमें एक कारण है मुसलमानों और उनके लिए काम करनेवाले सीएसओ का बिना किसी बाधा के प्रभावी भागीदारी और संवाद नहीं कर पाना। इसकी वजह से समानता के आधार पर अपने अधिकारों का दावा करने की उनकी क्षमता कम हो गई है और इसने उनके इर्द-गिर्द राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित किया है। संसाधनों तक मुसलमानों की अपर्याप्त पहुँच उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है और इनके प्रति सरकार की संकीर्ण नीति ने रही सही कसर पूरी कर दी है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि नीति-निर्माण भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है और इन सारी बातों का कुल प्रभाव यह होता है कि हाशिए पर पहुँचा दिए गए मुसलमानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है।

विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में मुसलमानों की भागीदारी हमेशा ही कम रही है। राष्ट्रीय जनसंख्या में 14 फ़ीसदी हिस्सेदारी वाले समुदाय का लोकसभा में प्रतिनिधित्व इस समय 4.9 प्रतिशत है। नौकरशाही में भी यही हाल है – मात्र 3.7 प्रतिशत मुसलमान ही सिविल सर्विसेज़ में हैं। 28 में से किसी भी राज्य का पुलिस प्रमुख या राज्य स्तर का वरिष्ठतम अधिकारी मुख्य सचिव इस समय मुसलमान नहीं है और न ही देश के किसी शीर्ष पेशेवर संगठन जैसे आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस के शासकीय बोर्ड में कोई मुसलमान सदस्य है। इसी तरह, देश के शीर्ष निगमों, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या प्रिंट या टीवी मीडिया हाउज़ेज़ के शीर्ष बोर्ड में मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व है। और ऐसा होना अपवाद नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से सामान्य बात हो गई है।

महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं होने की वजह से उनके लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। नागरिक सक्रियता, सार्वजनिक निगरानी, जानकारीपूर्ण आम राय और सामाजिक संगठन जो कि एक जीवंत और मज़बूत नागरिक दायरे की मौजूदगी के प्रमाण हैं, मुसलमानों में इनकी उपस्थिति ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही है जबकि इनके साथ भेदभाव होता रहा है और इनके ख़िलाफ़ लक्षित हिंसा का इतिहास रहा है। बीजेपी के 2014 में सत्ता में आने के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रती हिंसा बढ़ी है। मुसलमानों, दलितों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ भीड़-हिंसा बढ़ी है और इन धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ क़ानून भी सख़्त हुए हैं, जैसे धर्म परिवर्तन के ख़िलाफ़ क़ानून जिसके बारे में मानवाधिकार समूहों का यह कहना है कि यह अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए हिंदू समूहों को लाइसेन्स देने जैसा है। असम में नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया गया ताकि राज्य में विदेशियों की पहचान की जा सके। इस रजिस्टर ने अंततः 19 लाख लोगों को विदेशी घोषित कर दिया जो इस सूची में नहीं हैं और अब इनके सिर पर देश से बाहर कर दिए जाने का ख़तरा मंडरा रहा है। इसमें भी सबसे ज़्यादा मुसलमान ही प्रभावित होनेवाले हैं, ऐसी आशंका है।

2019 में दुबारा सत्ता में आने के बाद से बीजेपी ने ऐसे कई क़दम उठाए हैं जिनसे मुसलमान सीधे प्रभावित हुए हैं। मसलन, तीन तलाक़ को आपराधिक घोषित करना, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करना और फिर बाबरी मस्जिद मामले में हिंदू पक्षकारों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। दिसंबर 2019 को नागरिकता क़ानून में संधोशन कर देश में मुसलमानों को छोड़कर पड़ोसी देशों के अन्य धर्मों के नागरिकों को अवैध रूप से प्रवेश की अनुमति दे दी गई। सरकार ने पूरे देश में भारतीय नागरिकों का रजिस्टर बनाने की भी घोषणा की। पूरी योजना मुसलमान घुसपैठियों की पहचान कर सीएए के तहत उन्हें देश से बाहर करने की है। सीएए को मौलिक रूप से विभेदकारी माना गया है और यह भी कि यह अधिनियम भारी संख्या में मुसलमानों को राज्यविहीन कर देगा।

ख़तरे को भाँपते हुए सीएए-एनआरआईसी के सम्मिलित ख़तरे के ख़िलाफ़ मुसलमान खड़े हुए और पूरे देश में आंदोलन चलाया। दिल्ली में छात्रों ने इस अधिनियम के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाया जिसको सरकार ने बल प्रयोग से कुचलना चाहा पर यह शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग़ में महिलाओं ने अविस्मरणीय आंदोलन चलाया और इस स्थान पर उनका धरना नागरिक आंदोलनों के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में तिरंगा लिए शाहीन बाग़ की महिलाओं के इस आंदोलन को 'लोकतंत्र के दिल की धड़कन' बताया गया और इसे एक नए पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। इनकी एक ही मांग थी कि सीएए को वापस लिया जाए और राजनीतिक प्रक्रिया में उन्हें बराबरी की हिस्सेदारी दी जाए। शाहीन बाग़ ने मुसलमानों को बोलने का साहस दिया और उन्हें दमन और हाशियाकरण के ख़िलाफ़ झंडा बुलंद करने की ताक़त दी। इसे भारत के सिविल सोसायटी के लिए गौरव का क्षण बताया गया।

असहमति को दबाने के लिए बल का अत्यधिक प्रयोग

एक नागरिक के रूप में अपने ख़िलाफ़ सत्ता के हाथों हो रहे ग़ैर-बराबरी के व्यवहार के ख़िलाफ़ मुसलमानों के खड़े होने और उनको मिले समर्थन से विचलित सरकार हिंसा पर उतर आयी और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। असम जहां सीएए के ख़िलाफ़ सबसे पहले प्रदर्शन शुरू हुआ, पुलिस फ़ायरिंग में कम से कम पाँच लोगों की जान चली गई। देश के कई हिस्सों – कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया अत्याचार हुआ और लोगों की मौत हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों और प्रदर्शनकारियों को लाठी-डंडों से पीटा गया और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए । लखनऊ में लोगों पर पुलिस ने डंडे बरसाए।

सूचना, अभिव्यक्ति और जमा होने पर पांबंदी

दिसंबर 2019 में सीएए क़ानून के पास होने के बाद उत्तर प्रदेश के विशेषकर मुसलमान बहुल इलाक़ों – बिजनौर, फ़िरोज़ाबाद, कानपुर, मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, रामपुर, संभल और राजधानी

लखनऊ में लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था और प्रशासन ने इन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी। लोगों के जमा होने और सभा करने पर पाबंदी लगा दी गई और धारा 144 लगा दिया गया। सरकार ने बहुत ही निर्दयता से प्रदर्शन को कुचला। कई स्थानों पर पुलिस ने सीधे भीड़ पर गोलियाँ चलायी और कम से कम 22 लोगों की इसमें जान चली गई।

बदले की कार्रवाई और न्याय का विध्वंस

यूपी के कई शहरों में जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, आरएसएस और इससे जुड़े संगठन के लोग पुलिस के साथ मिलकर मुसलमान प्रदर्शनकारियों को मारपीट रहे थे और उलटे प्रदर्शनकारियों पर हिंसात्मक होने का आरोप लगा रहे थे। यूपी के मुज़फ़्फ़रनगर में इन लोगों ने एक इस्लामिक कॉलेज पर हमला किया, वहाँ लोगों को मारापीटा, तोड़फोड़ की, संपत्तियों को नुक़सान पहुँचाया और फिर उलटे 55 प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार कर लिया।

यूपी की पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई कररही थी यह स्पष्ट था। कई नाबालिगों को गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ बहुत ही संगीन आरोप लगा दिए गए जो नाबालिगों के लिए बने क़ानून का उल्लंघन था । गिरफ़्तार लोगों को हिरासत के दौरान मारापीटा गया, उनकी दुकानें और संपत्तियाँ सील कर दी गई और उनसे हर्ज़ाना भी वसूला गया।

दिल्ली : शांतिपूर्ण असहमति को आपराधिक करार देना सीएए के ख़िलाफ़ चल रहे प्रदर्शन के दौरान ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी को प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने और उनके प्रदर्शन को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से अनुचित बताने का मौक़ा मिल गया। प्रदर्शनकारियों को देश-द्रोही, विश्वासघाती और आतंकवादी बताया।

उत्तर पूर्व दिल्ली में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का अल्टीमेटम पुलिस को दिया और ऐसा नहीं करने पर क़ानून अपने हाथ में लेने की बात कही। बाद में मिश्रा के समर्थकों ने धरणा पर बैठे लोगों पर हमला कर दिया जिसकी वजह से हिंसा फैली और इसने सांप्रदायिक रूप ले लिया। मीडिया रिपोर्टों और दंगों के वीडियो से यह स्पष्ट था कि बीजेपी के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर मुसलमान प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया। तीन दिनों तक चले इस दंगे में कम से कम 53 लोगों की जान गई जिनमें 34 मुसलमान थे। उनके पूजास्थलों को भी व्यापक नुक़सान पहुंचाया गया था।

अभियानियों और सीएसओ के ख़िलाफ़ कार्रवाई

ऊपर जो भी उदाहरण दिए गए हैं उनमें से सभी में फ़र्ज़ी मामले दर्ज करने और ज़रूरत से अधिक बल प्रयोग की बात स्पष्ट है। सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानेवालों के ख़िलाफ़ राजद्रोह और

आतंकवाद-विरोधी क़ानून के तहत धड़ल्ले से मामले दर्ज कर दिए गए। दिल्ली में हुई हिंसा में भी यही देखा गया। महिलाओं और छात्रों को भी नहीं बख्शा गया। अभी भी 9 से अधिक अभियानी जेल में हैं और इनमें से अधिकांश मुसलमान हैं।

दिल्ली हिंसा में दो सप्ताह बाद एफआईआर दर्ज किए गए। कहा गया कि हिंसा पूर्व-नियोजित थी और इस बारे में मुसलमान युवाओं ने षड्यंत्र रचा था और जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटी (जेसीसी), पिंजड़ा तोड़ और पॉप्युलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएफआई) इसकी अगुवाई कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी एएमयू के छात्रों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की गई, उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ राजद्रोह, हत्या के आरोप लगाए गए। रिहाई मंच और पीएफआई के कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ व्यापक कार्रवाई की गई। इनकी तुलना में दिल्ली में हिंसा भड़कानेवाले बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि उनके ख़िलाफ़ एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया।

सिविल सोसायटी पर कार्रवाई का व्यापक असर

सिविल सोसायटी ख़ासकर अल्पसंख्यकों के लिए काम करनेवाले संगठनों पर इन बातों का बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है और इसने उनके कामकाज के तरीक़े को बदलने के लिए बाध्य किया है। हर जगह राज्य का आतंक पसरा है।

मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल रहा है कोर्ट

मामले पर नज़र रखनेवाले लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें राज्य के ग़ुस्से और पुलिस की क्रूरता से बचाने में विफल रहे हैं। एक-आध मामलों को छोड़ दिया जाए तो कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को अत्यधिक बल प्रयोग से नहीं रोका और न ही उन्हें हिंसा के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। और जब उन्होंने कार्रवाई की भी तो वह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वैसा प्रयास नहीं था जैसा होना चाहिए।

कश्मीर में नागरिक दायरे का ख़ात्मा

क़ानून और सामाजिक अनुबंध की समाप्ति

मुसलमान बहुल कश्मीर में 5 अगस्त 2019 में संवैधानिक परिवर्तन तो हुआ ही वहाँ संचार माध्यमों को बंद कर दिया गया, लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दिया गया, और भारी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया जो यह बताता है कि लोकतांत्रिक ढाँचे के अधीन नागरिक दायरे का गला कैसे सफलतापूर्वक घोंटा जा सकता है। यहाँ तक कि यूएन ने भी इसकी आलोचना की, इसे कश्मीरी लोगों को सामूहिक रूप से दंडित करना बताया और केंद्र सरकार से राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया।

सरकार ने यहाँ नागरिक दायरे का गला दबाने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) और यूएपीए का दुरुपयोग किया। प्रदर्शनिकरियों के ख़िलाफ़ खुलकर पेलेट गन का प्रयोग किया और यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा। यहाँ ग़ैरक़ानूनी हत्याएँ आम हैं। लोगों को ग़ायब कर दिया जाता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन यहाँ निर्बाध जारी है जबकि एएफएसपीए क़ानून के तहत सुरक्षा बलों की ज़्यादती पहले से हो रही है।

अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष संवैधानिक दर्जे को समाप्त किए जाने के बाद अब सरकार कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रही है और वहाँ देश के अन्य हिस्से से ग़ैर मुसलमानों को लाकर बसाया जा रहा है।

‘मौलिक स्वतंत्रता’ पर शिकंजा

संचार ठप; भाषण और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध

राज्य में प्रशासनिक बदलाव के साथ ही वहाँ टेलिफ़ोन, इंटरनेट और टीवी चैनलों को भी बंद कर दिया गया। बाद में 2019 के अंत में मोबाइल और लैंडलाइन फोन शुरू हुआ पर ब्रॉडबैंड और मोबाइल डाटा सेवाएँ चार महीने तक बंद रही और सिर्फ जनवरी 2020 में ही इसे शुरू किया गया पर यह भी सीमित ही था। सोशल मीडिया साइट्स वहाँ के लोगों के लिए बंद ही रहे। इंटरनेट बाद में शुरू किया गया पर जब पूरे देश में 4G सेवाएँ जारी थी, यहाँ 2G की अनुमति दी गई थी। कश्मीर एक ऐसी जगह बन गई है जहां इंटरनेट दुनिया में सबसे लंबे समय से बंद रहा। वहाँ प्रेस पर प्रतिबंध है और कर्फ़्यू आम है। कई पत्रकारों को यूएपीए के तहत जेल में बंद कर दिया गया है।

संगठन बनाने और सभा करने पर पाबंदी

कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद हज़ारों लोगों को वहाँ एहतियातन हिरासत में ले लिया गया जिनमें राजनीतिक नेता, सामुदायिक नेता, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक, सिविल सोसायटी के लोग और युवक शामिल थे। यहाँ तक कि राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों और मुख्यधारा और अलगाववादी राजनीतिक दलों के सदस्य भी शामिल थे। सरकार नहीं चाहती थी कि उसने राज्य में जो भी किया है उसका किसी भी स्तर पर विरोध हो। एक अनुमान के अनुसार, अगस्त 2019 में लगभग 8000 लोगों को हिरासत में लिया गया और उन पर पीएसए लगा दिया गया। भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय संघ के अनुसार राज्य में लॉकडाउन शुरू होने के समय 13,000 बच्चों को हिरासत में लिया गया। कुछ को छोड़ा गया पर आज भी इनमें से कई राज्य और राज्य के बाहर के जेलों में बंद हैं। राज्य में ईद, मुहर्रम, मिलादुन नबी आदि पर लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं दी गई और वहाँ राजनीतिक गतिविधियों पर लगभग पाबंदी लगा दी गई।

विरोध प्रदर्शन के ख़िलाफ़ अत्यधिक बल प्रयोग

सरकार ने वहाँ विरोध को कुचलने के लिए सारे हथकंडे अपनाए – आंसू गैस, पेप्पर स्प्रे, पिटाई, खदेड़ना आदि। सुरक्षा बल पेलेट गन का प्रयोग पहले से ही करते रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुक़सान पहुँचा है।

न्यायिक राहत का अभाव

कश्मीर में मौलिक अधिकारों के हनन के इतने हो-हल्ला के बावजूद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। राज्य के हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण के 600 से अधिक मामले दायर किए गए पर इनमें से मात्र 1 प्रतिशत मामले की सुनवाई हुई है। राज्य में लॉकडाउन के बारे में शिकायत पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक पीआईएल पर तो सुप्रीम कोर्ट ने पाँच महीने के बाद सुनवाई की। बच्चों को अकारण जेल में बंद किए जाने के मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया।

निष्कर्ष

पूरी दुनिया में नागरिक दायरे पर हमले हो रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में इसमें तेज़ी आयी है। जानकार लोग इसे दुनिया भर में लोकतंत्र के कमजोर होने और उसके नियम क़ानूनों की अनदेखी करना, राजनीतिक विरोधियों की वैधता को नकारना, नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करना और सहिष्णुता का मखौल और हिंसा को बढ़ावा देना शामिल है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यही हो रहा है – लोकतंत्र को पाँव खींचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। बीजेपी अधिनायकवादी रास्ते अपना रही है और देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह मुसलमानों के लिए बड़ी चिंता का कारण हो गया है क्योंकि उनको ही निशाना बनाकर वह हिंदू वोटरों में अपनी स्थिति मज़बूत कर रही है। इस प्रक्रिया में जैसा कि स्वाभाविक है, उसने उन संस्थानों की कमर तोड़ दी है जो सरकार के हमलों से लोकतंत्र की रक्षा कर सकते थे।

सुझाव

भारत सरकार के लिए

• संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(a), 19(1)(b) और 19(1)(c) के तहत जिन अधिकारों की गारंटी दी गई है उसका पालन करे
• भारत ने मानवाधिकार की रक्षा करने के जिस अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं उसके प्रति वह प्रतिबद्ध रहे जिनमें अनुच्छेद 19 और 20 में विभिन्न तरह की स्वतंत्रताओं का ज़िक्र है और इनके साथ-साथ आईसीपीआर का अनुच्छेद 19 भी शामिल है। ख़ासकर -
• संगठन बनाने की स्वतंत्रता
– सीएसओ के पंजीकरण को मनमाने तरीक़े से रद्द करने और उनके खाते पर पाबंदी को रोके और रद्द किए गए पंजीकरण को बहाल करे
– राजनीतिक आधार पर सीएसओ को परेशान करना बंद करे और उनके बैंक खाते आदि पर प्रतिबंध नहीं लगाए
– एफसीआरए को संशोधित कर सीएसओ विरोधी मनमाना प्रावधानों को समाप्त करे
• एचआरडी की सुरक्षा
– एचआरडी और उसके कार्यकर्ताओं पर हमले बंद करे और इन हमलों के लिए आपराधिक न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग बंद करे
– सभी एचआरडी को बिना शर्त रिहा करे
– एचआरडी को लोकतंत्र और मानवाधिकार के हित में काम करने का सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराए
– एचआरडी के हर मामले में निष्पक्ष और व्यापक जाँच कराए और अपराधियों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करे
• सभा करने का अधिकार
– धारा 144 का दुरुपयोग बंद कर और लोगों को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से नहीं रोके
– प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ अत्यधिक बल प्रयोग रोके
– प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ ख़तरनाक हथियारों का प्रयोग रोके
– सभा करनेवालों के ख़िलाफ़ बल प्रयोग में संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें

• बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
– आईपीसी की धारा 124A (राजद्रोह) और आईटी अधिनियम की समीक्षा करे और और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सर्वोत्तम योग्य बनाए
– पत्रकारों की रक्षा करें और उन्हें निर्भीक होकर काम करने दे
– मीडिया (परंपरागत और सोशल मीडिया सहित) पर सेंसरशिप ख़त्म करे और इंटरनेट पर पाबंदी को रोके

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए

• भारत को अपने संवैधानिक गारंटी और आईसीसीपीआर के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए उत्साहित करे और उसे मौलिक अधिकारों का सम्मान करने को कहे

• भारत को सीएसओ, एचआरडी, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं करने को कहे सीएसओ, एचआरडी, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को परेशान करनेवाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने को भारत को कहे

संदर्भ

* 'Pay Re 1 or Face 3-Month Jail Term with 3-Year Ban: Supreme Court to Prashant Bhushan', Indian Express September 1, 2020, https://indianexpress.com/article/india/ prashant-bhushan-supreme-court-sentencing-punishment-live-updates-contempt-of-court-tweets-6576973/.
† 'India Falls to 51st Position in EIU's Democracy Index', The Economic Times, January 23, 2020, https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-falls- to-51st-position-in-eius-democracy-index/articleshow/73519661.cms.
‡ 'India Suffers 'Alarming' Decline in Civil Liberties, Kashmir Ranked 'Not Free': 2020 Freedom Report', HuffPost India, March 4, 2020, https://www.huffingtonpost.in/entry/ india-human-rights-kashmir-2020-freedom-report_in_5e5f35edc5b67ed38b3a553e.
§ 'WJP Rule of Law Index 2020', World Justice Project, accessed 16 July, 2020, https:// worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020.
** 'India Ranks 142nd on Global Press Freedom Index', The Economic Times, April 22, 2020, https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-ranks- 142nd-on-global-press-freedom-index/articleshow/75279460.cms.

'Global Monitor Adds India to Watchlist for 'Decline' in Fundamental Freedoms', The Wire, March 13, 2020, https://thewire.in/rights/civicus-monitor- watchlist-caa-india.

'CIVICUS - Tracking Conditions for Civic Action - India', CIVICUS, accessed 16 July 2020, https://monitor.civicus.org/country/india/.
'Pay Re 1 or Face 3-Month Jail Term with 3-Year Ban: Supreme Court to Prashant Bhushan', Indian Express September 1, 2020, https://indianexpress.com/ article/india/prashant-bhushan-supreme-court-sentencing-punishment-live- updates-contempt-of-court-tweets-6576973/.
'What is Civic Space?' CIVICUS, accessed 16 July, 2020, https://monitor. civicus.org/whatiscivicspace/.

'India Now the World's Largest Illiberal Democracy, Says Financial Times US Editor', The Wire, June 30, 2020, https://m.thewire.in/article/video/karan-thapar- edward-luce-interview-india-illiberal-democracy/amp.

'IB Report to PMO: Greenpeace is a Threat to National Economic Security', Indian Express, June 11, 2014, https://indianexpress.com/article/ india/india-others/ib-report-to-pmo-greenpeace-is-a-threat-to-national- economic-security/.

'PM Narendra Modi says he is victim of NGOs' conspiracy', The Economic Times, February 21, 2016, https://economictimes.indiatimes.com/news/ politics-and-nation/pm-narendra-modi-says-he-is-victim-of-ngos-conspiracy/ articleshow/51081446.cms.

Civil Society in India Remains Vibrant', The Hindu, June 9, 2016, https:// www.thehindu.com/opinion/interview/'Civil-society-in-India-remains-vibrant'/ article14391890.ece.

'Narendra Modi Govt Launches Drive against 'Subversive' NGOs to Tackle Dangers of Suspicious Foreign Investments', Firstpost, August 19, 2019, https:// www.firstpost.com/india/narendra-modi-govt-launches-drive-against-subversive- ngos-to-tackle-dangers-of-suspicious-foreign-investments-7188921.html

CIVICUS, India: Democracy Threatened by Growing Attacks on Civil Society, https://www.civicus.org/images/India_Democracy_Threatened_Nov2017.pdf.
See also Meenakshi Ganguly, 'Threat to India's Vibrant Civil Society', Human Rights Watch, August 14. 2015, https://www.hrw.org/news/2015/08/14/threat-indias- vibrant-civil-society. and Mandeep Tiwana, 'Squeezing Civil Society Hurts India's Economy and Democracy', Open Democracy, August 23, 2017, https://www. opendemocracy.net/en/openindia/squeezing-civil-society-hurts-india-s-economy- and-democracy/.
https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/why-ngos-fear-the- new-fcra-regulations-1725077-2020-09-24.

Also, G. Sampath, 'Time to Repeal the FCRA', The Hindu, December 27, 2016, https://www.thehindu.com/opinion/lead/Time-to-repeal-the-FCRA/ article16946222.ece.

'Government Cancels Registration of 4,470 NGOs in Fresh Crackdown', The Economic Times, June 9, 2015, https://economictimes.indiatimes.com/news/ politics-and-nation/government-cancels-registration-of-4470-ngos-in-fresh-crackdown/articleshow/47604230.cms.

'Home Ministry Cancels Registration of 9,000 Foreign-Funded NGOs', Hindustan Times, April 28, 2015, https://www.hindustantimes.com/india/ home-ministry-cancels-registration-of-9-000-foreign-funded-ngos/story-UpnVtwpwSrSJzqEdYygiJN.html.

14,500 NGOs Banned from Receiving Foreign Funds: Govt.' Indian Express, December 5, 2019, https://indianexpress.com/article/india/14500-ngos-banned- from-receiving-foreign-funds-govt-6151180/.

'Conversion, Sedition in Focus as Government Tightens FCRA Norms', The Times of India, September 17, 2017, https://timesofindia.indiatimes.com/ india/conversion-sedition-in-focus-as-government-tightens-fcra-norms/ articleshow/71159079.cms.

'India's FCRA Does Not Conform to International Standards', Down to Earth, April 27, 2016. https://www.downtoearth.org.in/news/economy/india-s- fcra-does-not-conform-to-international-standards-un-special-rapporteur-53743.

'A 'Caged Parrot' – Supreme Court Describes CBI', Reuters India, May 10, 2013, https://in.reuters.com/article/cbi-supreme-court-parrot-coal/a-caged-parrot- supreme-court-describes-cbi-idINDEE94901W20130510.

'India: Human Rights Defenders Targeted by a Coordinated Spyware Operation', Amnesty International, June 15, 2020, https://www.amnesty.org/en/ latest/research/2020/06/india-human-rights-defenders-targeted-by-a-coordinated- spyware-operation/; 'Google Warned up to 500 Indian Users That They Were Targeted by 'Government-Backed Actors" The Wire, November 27, 2019, https:// thewire.in/tech/google-warning-india-users; and Shoaib Danyal, 'Explainer: How WhatsApp Was Hacked to Spy on Indian Activists and Lawyers and Who Could've Done It', Scroll, November 1, 2019, https://scroll.in/article/942300/ explainer-how-whatsapp-was-hacked-to-spy-on-indian-dissidents-and-who-did-it.

Martand Kaushik and Anjaneya Sivan, 'Bhima Koregaon Case: Prison- Rights Activist Rona Wilson's Hard Disk Contained Malware That Allowed Remote Access', The Caravan, March 12, 2020, https://caravanmagazine.in/ politics/bhima-koregaon-case-rona-wilson-hard-disk-malware-remote-access.

'Central Govt Taps Over 100,000 Phones a Year: Report', Outlook, September 4, 2014, https://www.outlookindia.com/newswire/story/central-govt-taps-over- 100000-phones-a-year-report/858404.

'India Ranks 142nd on Global Press Freedom Index', The Economic Times, April 22, 2020. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/ india-ranks-142nd-on-global-press-freedom-index/articleshow/75279460.cms.

'Gauri Lankesh and MM Kalburgi Killed Using Same Gun, Reveals Forensic Report', News18 India, June 8, 2018, https://www.news18.com/news/india/gauri- lankesh-mm-kalburgi-killed-using-same-gun-reveals-forensic-report-1772089. html.

'55 Indian Journalists Arrested, Booked, Threatened for Reporting on Covid-19: Report.' The Wire, June 16, 2020, https://thewire.in/media/covid-19- journalists-arrested-booked-report.

'FIR Filed Against 'The Wire' Editor for Allegedly Making 'Objectionable Comment' About Adityanath', Scroll, April 2, 2020, https://scroll.in/latest/957945/ fir-filed-against-the-wire-editor-for-allegedly-spreading-fake-news-against- adityanath.

'UP Police Arrests Journalist Prashant Kanojia in Delhi Over 'Objectionable' Tweet on Hindu Army', The Print, August 18, 2020, https://theprint.in/india/up- police-arrests-journalist-prashant-kanojia-in-delhi-over-objectionable-tweet-on- hindu-army/484274/.

'Rana Ayyub on Global List of Journalists Under Threat: Abuse of Those Pursuing Truth Must Be Stemmed with Government Action.' Firstpost, August 8, 2019, https://www.firstpost.com/india/rana-ayyub-on-global-list-of-journalists- under-threat-abuse-of-those-pursuing-truth-must-be-stemmed-with-govt- action-6390521.html.

'Internet Shutdown Tracker', Software Freedom Law Center, accessed July 16, 2020, https://internetshutdowns.in.

Ashwaq Masoodi, 'Prisoners of Memes, Social Media Victims', Livemint, December 5, 2018, https://www.livemint.com/Politics/ sWTiTg8jscRZpKwSPN25UN/Prisoners-of-memes-social-media-victims.html.

'Hall of Shame – Mapping Attacks on RTI Users', Commonwealth Human Rights Initiative, accessed July 16, 2020, http://attacksonrtiusers.org/Home/Issue/.

'Why Was NDTV India Banned and What Does the Law Say?' Hindustan Times, November 5, 2016, https://www.hindustantimes.com/ india-news/why-was-ndtv-india-banned-and-what-does-the-law-say/story-Rp7oyyYZ0MFzbV6omyMnbO.html

Praveen Donthi, 'The Image Makers: How ANI Reports the Government's Version of Truth', The Caravan, March 1, 2019, https://caravanmagazine.in/ reportage/ani-reports-government-version-truth.

Adam Withnall, 'How Modi Government Uses Ad Spending to 'Reward or Punish' Indian Media', The Independent, July 7, 2019, https://www.independent. co.uk/news/world/asia/india-modi-government-media-ad-spending-newspapers- press-freedom-a8990451.html.

An academic and observer, email interview, New Delhi, June 24, 2020. 39 <name withheld>, personal interview, New Delhi, June 25, 2020.

Harshita Murarka, 'Ramjas Not Alone, ABVP has a Legacy of Violence', The Quint, February 23 2017, https://www.thequint.com/news/politics/delhi- university-ramjas-college-not-alone-abvp-has-history-of-violence-like-rohith-vemula-jnu-kanhaiya-kumar.

'From Pune to Paris: How a Police Investigation Turned a Dalit Meeting into a Maoist Plot', Scroll, September 2, 2018, https://scroll.in/article/892850/from- pune-to-paris-how-a-police-investigation-turned-a-dalit-meeting-into-a-maoist- plot.

'Thoothukudi Firing Victims Killed by Shots to Head, Chest; Half from Behind: Postmortem Reports', The New Indian Express, December 22, 2018, https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2018/dec/22/thoothukudi- firing-victims-killed-by-shots-to-head-chest-half-from-behind-postmortem- reports-1915164.html.

An academic and observer, email interview, New Delhi, June 24, 2020. 45 A Supreme Court lawyer, email interview, New Delhi, June 23, 2020.

'New Rules on Temporary Suspension of Telecom Services in Case of Public Emergency or Public Safety', Software Freedom Law Center, August 23, 2017, https://sflc.in/new-rules-temporary-suspension-telecom-services-case-public- emergency-or-public-safety.

Jan Ryzdak, 'In Times of Unrest, Social Media Shutdowns Endanger Public Safety', The Wire, May 2, 2019, https://science.thewire.in/culture/media/crisis- social-media-shutdowns-public-safety/.

Arunav Kaul, Scroll, October 9, 2019, https://scroll.in/ article/939832/the-best-tribute-to-gandhi-on-his-150th-birth-anniversary-strike- down-the-sedition-law.

Chitranshul Sinha, 'NCRB Report is An Argument in Repealing Law Against Sedition', Mumbai Mirror, October 24, 2019, https://mumbaimirror. indiatimes.com/opinion/columnists/by-invitation/ncrb-report-is-an-argument-in- repealing-law-against-sedition/articleshow/71730564.cms.

'Misuse of UAPA by Union Government During Covid-19 Pandemic', NewsClick, May 1, 2020, https://www.newsclick.in/UAPA-Misuse-Modi-Govt- Crackdown-Activists-Organisations-Covid-19-Lockdown.

Kapil Sibal, 'UAPA: When Laws Turn Oppressive', Hindustan Times, June 30, 2020, https://www.hindustantimes.com/analysis/uapa-when-laws-turn- oppressive/story-d9d7OEO50LQjLZs3Ba5pzI.html.

'Covid-19 Pandemic: Crackdown on Dissent Putting Lives at Immediate Risk in India', Amnesty International India, May 1, 2020, https://amnesty.org. in/news-update/covid-19-pandemic-crackdown-on-dissent-putting-lives-at- immediate-risk-in-india/.

Mahtab Alam, 'India's 'Extraordinary' Laws Need to Be Revoked, Not Revamped', The Wire, February 16, 2020, https://thewire.in/rights/uapa-sedition- psa-nsa-extraordinary-laws.

Centre for Equity Studies, Promises to Keep – Investigating Government's Response to Sachar Committee Recommendations (New Delhi: Centre for Equity Studies, 2011 rev. 2014), 94, http://www.accountabilityindia.in/sites/default/files/ document-library/promises_to_keep_investigating_governments_response.pdf.

Farah Naqvi, Working With Muslims: Beyond Burqa and Triple Talaq (Gurgaon: Three Essays Collective, 2018).

Centre for Equity Studies, Promises to Keep – Investigating Government's Response to Sachar Committee Recommendations (New Delhi: Centre for Equity Studies, 2011.
Summary and Recommendations of the Kundu Committee. 4th December 2014, https://twocircles.net/2014dec04/1417692480.html.

'Muslim Representation in Governing Body of Prominent Institutes of India: 14 Years of Sachar Committee', Ars Longa, Vita Brevis, accessed July 16, 2020, https://rajatdutta13.blogspot.com/2020/05/muslim-representation-in-governing- body.html?m=1.

Mushirul Hasan, Legacy of a divided nation. India's Muslims since Independence (New Delhi: Oxford University Press, 2001).

United States Commission for International Religious Freedom, 'Annual Report 2020: India' (USA: USCIRF, 2020), accessed July 16, 2020, https://www. uscirf.gov/sites/default/files/India.pdf.

Hindus, Buddhists, Jains, Sikhs, Parsis and Christians from three Muslim majority community Pakistan, Afghanistan and Bangladesh.

United Nations, 'New Citizenship Law in India 'Fundamentally Discriminatory': UN Human Rights Office', December 13, 2019, https://news. un.org/en/story/2019/12/1053511.

Human Rights Watch, 'Shoot the Traitors: Discrimination against Muslims under India's new citizenship Policy,' April 2020, https://www.hrw.org/report/ 2020/04/09/shoot-traitors/discrimination-against-muslims-under-indias-new- citizenship-policy.

Hannah Ellis-Petersen and Shaikh Azizur Rahman, ''Modi is Afraid': Women Take Lead in India's Citizenship Protests', The Guardian, January 21, 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/modi-is-afraid-women- take-lead-in-indias-citizenship-protests.

Dilip Bobb, 'India's Shaheen Bagh Moment', India Legal Live, January 1, 2020, https://www.indialegallive.com/viewpoint/indias-shaheen-bagh-moment.

Neera Chandhoke, 'The Strength of Civil Society is its Spontaneity, Collective Mobilisation', Indian Express, January 31, 2020.
'How Five People in Assam Were Killed During Anti-Citizenship Amendment Protests,' The Wire, December 16, 2019, https://thewire.in/rights/ assam-anti-citizenship-amendment-act-protest-deaths. 'Police Burst Tear Gas Shells Inside Mangaluru Hospital, Alleges Congress', The Hindu, December 20, 2019, https://www.thehindu.com/news/cities/ Mangalore/police-burst-tear-gas-shells-inside-mangaluru-hospital-alleges- congress/article30357522.ece.

Citizens Against Hate, Everyone Has Been Silenced: Police Excesses Against Anti-CAA Protestors in Uttar Pradesh, and the Post-Violence Reprisal. (New Delhi: Alternotes Press), http://citizensagainsthate.org/wp-content/uploads/2020/03/ Citizens-Against-Hate-Everyone-Has-Been-Silenced.pdf.
'SIT Clean Chit to Six Cops Accused of Shooting Student During Anti-CAA Stir', Indian Express, July 1, 2020, https://indianexpress.com/article/india/sit- clean-chit-to-six-cops-accused-of-shooting-student-during-anti-caa-stir-6484414/.

Tushar Dhara, 'In Muzaffarnagar, Police and Hindutva Groups Attack Muslims in Attempt to Recreate 2013 Riots', The Caravan, December 28, 2019, https://caravanmagazine.in/politics/muzaffarnagar-police-hindutva-groups- attack-muslims-attempt-recreate-2013-riots.

'CM Adityanath Says UP Govt Will Take 'Revenge' on Those Involved in Violence During Protests', The Print, December 19, 2019, https://theprint.in/india/ cm-adityanath-says-up-govt-will-take-revenge-on-those-involved-in-violence- during-protests/337943/.
'Anti-CAA Protests: Two Shops Sealed as UP Govt Starts to Recover Damages', Indian Express, July 1, 2020, https://indianexpress.com/article/india/anti-caa-protests-two-shops-sealed-as-up-govt-starts-to-recover- damages-6484094.

Purnima Tripathi, 'BJP's Delhi Election Campaign: Hate and Perish', Frontline, February 28, 2020, https://frontline.thehindu.com/cover-story/ article30802606.ece.

Mira Kamdar, 'What Happened in Delhi Was a Pogrom', The Atlantic, February 28, 2020, https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/02/what- happened-delhi-was-pogrom/607198/.

'How Delhi's Police Turned Against Muslims', The New York Times, March 12, 2020, https://www.nytimes.com/2020/03/12/world/asia/india-police-muslims.

The first is an anti-CAA protest coordination group; the second a women's rights group; and the third a Muslim rights group.

<name withheld>, email interview, New Delhi, June 17, 2020.

Fatima Khan, 'AMU Student Arrested Over CAA Violence, Charged with Sedition and Attempt to Murder', The Print, May 29, 2020, https://theprint. in/india/amu-student-arrested-over-caa-violence-charged-with-sedition-and-attempt-to-murder/432006/.

Mahtab Alam, 'CAA Protests: UP Police Detain, Threaten, Beat Up Activists, Journalist in Lucknow', The Print, December 21, 2019, https://thewire. in/government/up-police-arrests-caa-protests; and 'Popular Front of India's UP Head, 16 Other Workers Arrested for Violence During Anti-CAA Protests: Police', India Today, December 23, 2019, https://www.indiatoday.in/india/story/ pfi-s-up-head-16-other-workers-arrested-for-violence-during-anti-caa-protests- police-1631006-2019-12-23.

Tushar Dhara, 'In Muzaffarnagar, Police and Hindutva Groups Attack Muslims in Attempt to Recreate 2013 Riots', The Caravan, December 28, 2019, https://caravanmagazine.in/politics/muzaffarnagar-police-hindutva-groups- attack-muslims-attempt-recreate-2013-riots; and Akshita Jain, 'Kapil Mishra's Ultimatum Went Viral, But Police Says No Evidence Yet of Politicians Instigating Delhi Riots', HuffPost July 14, 2020, https://www.huffingtonpost.in/entry/kapil- mishra-delhi-police-no-evidence-riots_in_5f0d5509c5b6df6cc0b0aa45.

'UN Rights Experts Urge India to End Communications Shutdown in Kashmir', Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, August 22, 2019, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=24909&LangID=E.

'Internet Shutdown Tracker', Software Freedom Law Center, accessed July 16, 2020, https://internetshutdowns.in.

'J&K Regional Parties Say Modi's Govt Amendment to New Domicile Law is 'Cosmetic', a 'Bluff'', The Print, April 4, 2020, https://theprint.in/india/jk- regional-parties-say-modi-govts-amendment-to-new-domicile-law-is-cosmetic-a- bluff/395462/.

'Freedom in the World 2020: Indian Kashmir', Freedom House, accessed July 16, 2020, https://freedomhouse.org/country/indian-kashmir/freedom-world/2020.

'Kashmir Has Become an Open Air Prison, Says Iltija Mufti, Mehbooba Mufti's Daughter', Gulf News, October 3, 2019. https://gulfnews.com/world/ asia/india/kashmir-has-become-an-open-air-prison-says-iltija-mufti-mehbooba- muftis-daughter-1.66880000.
'Govt Slaps UAPA on Those "Misusing" Social Media in Kashmir, Owaisi Says New Records of Cruelty', India Today, February 18, 2020, https://www. indiatoday.in/india/story/govt-slaps-uapa-on-those-misusing-social-media-in- kashmir-owaisi-says-new-records-of-cruelty-1647469-2020-02-18.

Safwat Zargar, 'In Kashmir, A Spree of Arrests for Alleged 'Misuse' of Social Media and Masking Apps', Scroll, March 1, 2020, https://scroll.in/article/954711/ in-kashmir-a-spree-of-arrests-for-alleged-misuse-of-social-media-and-vpns.

'India's Internet Shutdown in Kashmir is Now the Longest Ever in a Democracy,' Washington Post, December 16, 2019, https://www.washingtonpost. com/world/asia_pacific/indias-internet-shutdown-in-kashmir-is-now-the- longest-ever-in-a-democracy/2019/12/15/bb0693ea-1dfc-11ea-977a-15a6710ed6da_story.html

Shakir Mir, 'Use of UAPA Against Journalists is Last Nail in Coffin for Press Freedom in Kashmir', The Wire, April 26, 2020, https://thewire.in/media/use-of- uapa-against-journalists-is-last-nail-in-coffin-for-press-freedom-in-kashmir.
'Jammu and Kashmir's New Media Policy is Aimed at Demolishing the Local Press, Editors Say', Scroll, June 24, 2020, https://scroll.in/article/964900/ jammu-and-kashmirs-new-media-policy-is-aimed-at-demolishing-the-local-press-editors-say.

'India: Free Kashmiris Arbitrarily Detained', Human Rights Watch, September 16, 2019, https://www.hrw.org/news/2019/09/16/india-free-kashmiris-arbitrari-ly-detained.

'609 People Currently Under Detention in J&K: Home Ministry', India Today, November 20, 2019, https://www.indiatoday.in/india/story/609-people-currently-under-detention-in-j-k-home- ministry-1620884-2019-11-20.

'Young Boys Tortured in Kashmir Clampdown as New Figures Show 13,000 Teenagers Arrested', The Telegraph, September 25, 2019, https://www.telegraph. co.uk/news/2019/09/25/young-boys-tortured-kashmir-clampdown-new-figures- show-13000/.

'Kashmir Caged', NewsClick, August 14, 2019, https://www.newsclick.in/ kashmir-caged.
'Coronavirus: Kashmiris Fear for Safety of Kin in 'Cramped' Jails', Al Jazeera, April 14, 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/04/coronavirus- kashmiris-fear-safety-kin-cramped-jails-200413103319099.html.

'Detention of Mehbooba Mufti, Two J&K Leaders Extended by Three Months', The Hindu, May 5, 2020, https://www.thehindu.com/news/national/ former-jk-chief-minister-mehbooba-muftis-detention-under-psa-extended-by-three-months/article31512206.ece.

'Was Asked to Quit Politics for Freedom: Nayeem Akhtar', Kashmir Observer, June 27, 2020, https://kashmirobserver.net/2020/06/27/asked-to-sign- horribly-worded-bond-ex-minister-spills-detention-beans/.

'Kashmir: Government Using Pellet Guns to Suppress Protests', HuffPost, August 9, 2019, https://www.huffingtonpost.in/entry/article-370-kashmir- protests-pellet-guns_in_5d4d6a11e4b09e7297450516.

‘Over 150 Treated for Tear Gas, Pellet Gun Injuries in Kashmir’, Al Jazeera, August 23, 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/08/150-treated-tear-gas pellet-gun-injuries-kashmir-190823052847698.html.
In largescale protests across Kashmir following the killing of militant commander, Burhan Wani.

‘36 Suffered Pellet Injuries since August 5: Official’, The Hindu. August 28, 2019, https://www.thehindu.com/news/national/36-suffered-pellet-injuries-since- august-5-official/article29280622.ece.

‘Pulwama Gunfight: Civilian Shot Dead in Protests’, The Kashmir Walla, May 7, 2020, https://thekashmirwalla.com/2020/05/pulwama-gunfight-civilian- shot-dead-in-protests/.

‘99% Habeas Corpus Filed in J&K HC Since August 2019 Pending’, NewsClick, June 27, 2020, https://www.newsclick.in/99%25-Habeas-Corpus-Filed- Jammu-Kashmir-HC-August-2019-Pending.

‘Verdict on Internet Curbs in J&K in Defence of Free Speech, But Relief Remains Elusive’, Frontline, January 11, 2020, https://frontline.thehindu.com/ dispatches/article30542427.ece.

Mahtab Alam, ‘J&K Police Denied Media Reports of Illegal Arrests of Minors. Its Own List is Proof to Contrary’, The Wire, November 6, 2019, https:// thewire.in/rights/kashmir-minors-2.

‘J&K High Court Refuses to Ban Use of Pellet Guns by Security Forces’, Deccan Herald, March 11, 2020, https://www.deccanherald.com/national/north-and-central/jk-high-court-refuses-to-ban-use-of-pellet-guns-by-security- forces-812797.html.

‘Freedom in the World 2020: India’, Freedom House, accessed July 16, 2020, https://freedomhouse.org/country/india/freedom-world/2020.

Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, How Democracies Die: What History Tells Us About Our Future (New York: Viking, 2018), 23-24.

The
South Asia
Collective

thesouthasiacollective.org

Cover illustration : Promina Shrestha
Design : Kokila B